

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/37/2015

दिनांक : 29 मई, 2015

प्रेस नोट

विषय : राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (नरपैप), 2015-आवेदकों से आधार संख्या एकत्रित करना-तत्संबंधी।

भारत निर्वाचन आयोग ने त्रुटिरहित, परिशोधित और प्रमाणीकृत निर्वाचक नामावली तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से दिनांक 3 मार्च, 2015 से राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (नरपैप) शुरू किया है।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, कुछ अन्य क्रियाकलापों के अतिरिक्त, आधार डाटा के साथ निर्वाचकों के एपिक डाटा को जोड़ा और प्रमाणीकृत भी किया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए, निर्वाचकों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर अपने आधार संख्या और एपिक संख्या फीड करने की सुविधा दी गई है या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ)/बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को दोनों दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करने के लिए एसएमएस/ई-मेल/कॉल सेन्टर प्रणाली के माध्यम से उक्त विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त के अलावा, बूथ स्तरीय अधिकारी केवल ऐच्छिक आधार पर घर-घर जाकर सर्वेक्षण के दौरान निर्वाचकों से डाटा भी एकत्रित कर रहे हैं।

3. निर्वाचकों तथा निर्वाचन मशीनरी के बीच शंका को दूर करने के लिए, आयोग ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह विनिर्दिष्ट करते हुए आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं कि निर्वाचकों द्वारा आधार संख्या को प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है और यह केवल वैकल्पिक है, जैसाकि माननीय उच्चतम नयायालय द्वारा निदेशित किया गया है। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि आधार संख्या को प्रस्तुत न करने के आधार पर किसी भी निर्वाचक को निर्वाचक सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। नए पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति या आपत्ति के लिए या विद्यमान निर्वाचक का निर्वाचक नामावली में से नाम हटाने के लिए आधार संख्या को प्रस्तुत न किया जाना कोई आधार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आधार संख्या को एकत्रित करना केवल निर्वाचक के विवरणों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए है और इस प्रकार एकत्रित किए गए डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा, निर्वाचक नामावली डाटाबेस में इस प्रकार की फीडिंग एवं सीडिंग की प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक